बिहार सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ लैंगिक उत्पीड़न (निवारण प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम 2013 के आलोक में कार्य स्थलों पर लैंगिक उत्पीड़न को रोकने के संबंध में दिशा निर्देश एवं शिकायत निवारण समितियों का गठन संबंधी सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प ज्ञापांक संख्या–17903 दिनांक–29.12.2014 में वर्णित प्रावधानों के आलोक में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना में गठित आंतरिक परिवाद समिति (Internal Complaints committee) निम्नवत् है:–

1. श्रीमती पूनम कुमारी,
   उप सचिव,
   पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना– अध्यक्ष,
2. श्रीमती निवेदिता राय, सेवानिवृत भा.प्र.से
   तत्कालीन अपर सचिव, कृषि विभाग बाह्य सदस्य
3. श्री चितरंजन शर्मा, अवर सचिव
   पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना– सदस्य
4. श्रीमती रंजना कुमारी,
   आई०टी, मैनेजर,
   पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना– सदस्य
5. श्रीमती ममता कुमारी,
   उच्चवर्गीय लिपिक,
   पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना– सदस्य

आदेशानुसार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
बिहार, पटना।

कार्यालयः प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना।

चतुर्थ तल, अरण्य भवन, राईडिंग रोड, शेखपुरा मोड़, पटना–800014
Email: pccfbihar@gmail.com

पत्रांकः– 636 (को०) दिनांक– 29-05-2023

प्रेषक,

आशुतोष, भा०व०से०
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF),
बिहार, पटना।

29 MAY 2023

सेवा में,

प्रधान सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
बिहार सरकार, पटना।

विषयः– कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषोध एवं प्रतितोष) अधिनियम 2013 के तहत विभाग/ जिला स्तर पर कार्यान्वयन की समीक्षा हेतु मुख्य सचिव, बिहार के द्वारा दिनांक–30.05.2023 को अपराह्न 03:00 बजे (विडियो कांफ्रेसिंग) के माध्यम से बैठक के संबंध में।

प्रसंगः– विभागीय पत्रांक–1/मु0स्था0–15/2013–1925/ प0व0ज0प0, दिनांक– 26.05.2023

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में सूचित करना है कि कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषोध एवं प्रतितोष) अधिनियम 2013 के तहत विभाग/ जिला स्तर पर कार्यान्वयन की समीक्षा हेतु मुख्य सचिव, बिहार के द्वारा दिनांक–30.05.2023 को अपराह्न 03:00 बजे (विडियो कांफ्रेसिंग) के माध्यम से बैठक हेतु प्रतिवेदन इस पत्र के साथ संलग्न प्रेषित की जा रही है।

कृपया प्राप्ति स्वीकार की जाय।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन

29/05/2023

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF),
बिहार, पटना।

पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष)अधिनियम,2013

विभाग द्वारा मुख्यालय स्तर पर कृत कार्रवाई

1. पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के मुख्यालय (अरण्य भवन, पटना) स्तर पर नियम अनुसार आतंरिक समिति का गठन कर लिया गया है. इसके सदस्यों की जानकारी (उनके नाम तथा मोबाइल नंबर) संबंधी सूचना पट्ट कार्यालय के प्रवेश द्वार सहित सभी तल के महत्वपूर्ण जगहों पर लगाए गए हैं तद्सम्बन्धी सूचना महिला एवं बाल विकास निगम को प्रेषित कर वेब साईट पर प्रदर्शित करने की कार्रवाई की जा रही है.

2. आंतरिक समिति को अधिनियम के सम्बन्ध में उनके दायित्व शिकायत की जांच की प्रक्रिया तथा अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं से वरीय पदाधिकारियों तथा अधिनियम के जानकार द्वारा अवगत कराया गया है.

3. कार्यालय में सभी कर्मियों के साथ साथ महिला कर्मियों को इस अधिनियम के जानकारी देने के उद्देश्य से दिनांक 22.05.2023 को कार्यशाला आयोजित की गयी तथा अन्तर्निहित धाराओं के बारे में प्रस्तुतीकरण के माध्यम से बताया गया.

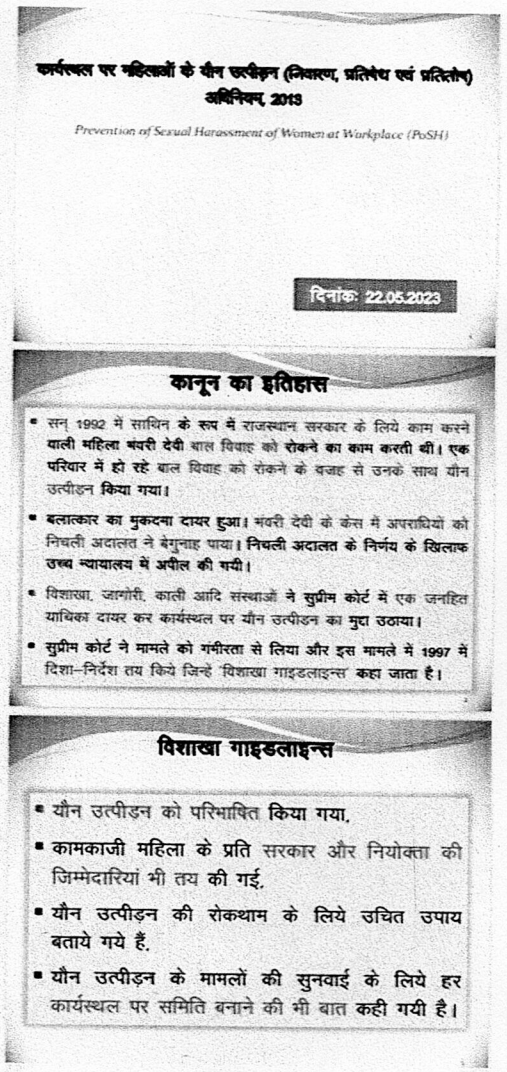

POCO X4 PRO 5G

POCO X4 PRO 5G

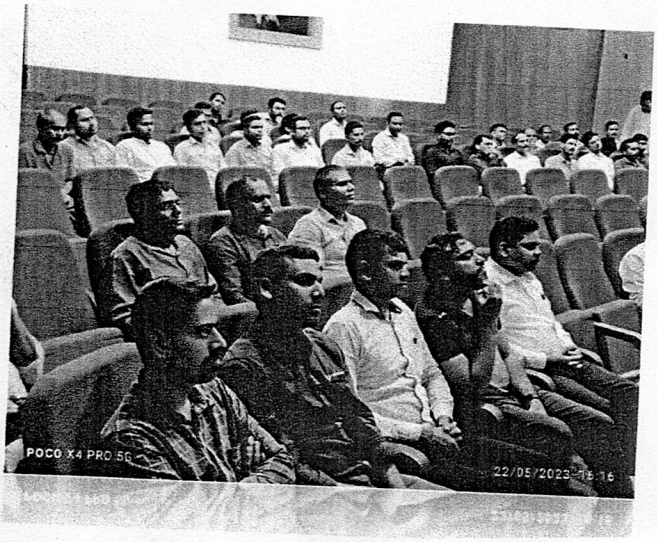
POCO X4 PRO 5G

4. विभाग में सभी वन प्रमंडल में आंतरिक समिति का गठन कर लिया गया है.

5. अधिनियम से सम्बंधित प्रचार प्रसार की सामग्री प्राप्त कर प्रदर्शित करने की कार्रवाई की जा रही है.

पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष)अधिनियम,2013

विभाग द्वारा मुख्यालय स्तर पर कृत कार्रवाई

1. पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, पटना के स्तर पर नियम अनुसार आतंरिक समिति का गठन कर लिया गया है. इसके सदस्यों की जानकारी (उनके नाम) संबंधी सूचना पट्ट कार्यालय के प्रवेश द्वार सहित सभी महत्वपूर्ण जगहों पर लगाए गए हैं तद्सम्बन्धी सूचना महिला एवं बाल विकास निगम को प्रेषित कर वेब साईट पर प्रदर्शित करने की कार्रवाई की जा रही है.

कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ लैंगिक उत्पीड़न (निवारण प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम 2013 के संदर्भ में कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न रोकने हेतु गठित आंतरिक समिति

क्र. सं.	नाम	पदनाम
01	श्रीमती पूनम कुमारी, उप सचिव	अध्यक्ष
02	श्रीमती निवेदिता राय, सेवानिवृत भा.प्र.से तत्कालीन अपर सचिव, कृषि विभाग	बाह्य सदस्य
03	श्री चितरंजन शर्मा, अवर सचिव	सदस्य
04	श्रीमती रंजना कुमारी, आई०टी, मैनेजर	सदस्य
05	श्रीमती ममता कुमारी, उच्चवर्गीय लिपिक,	सदस्य

2. आंतरिक समिति को अधिनियम के सम्बन्ध में उनके दायित्व शिकायत की जांच की प्रक्रिया तथा अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं से वरीय पदाधिकारियों तथा अधिनियम के जानकार द्वारा अवगत कराया गया है.

3. कार्यालय में सभी कर्मियों के साथ साथ महिला कर्मियों को इस अधिनियम के जानकारी देने के उद्देश्य से कार्यशाला आयोजित की जाएगी तथा अन्तर्निहित धाराओं के बारे में प्रस्तुतीकरण के माध्यम से बताया जायेगा।

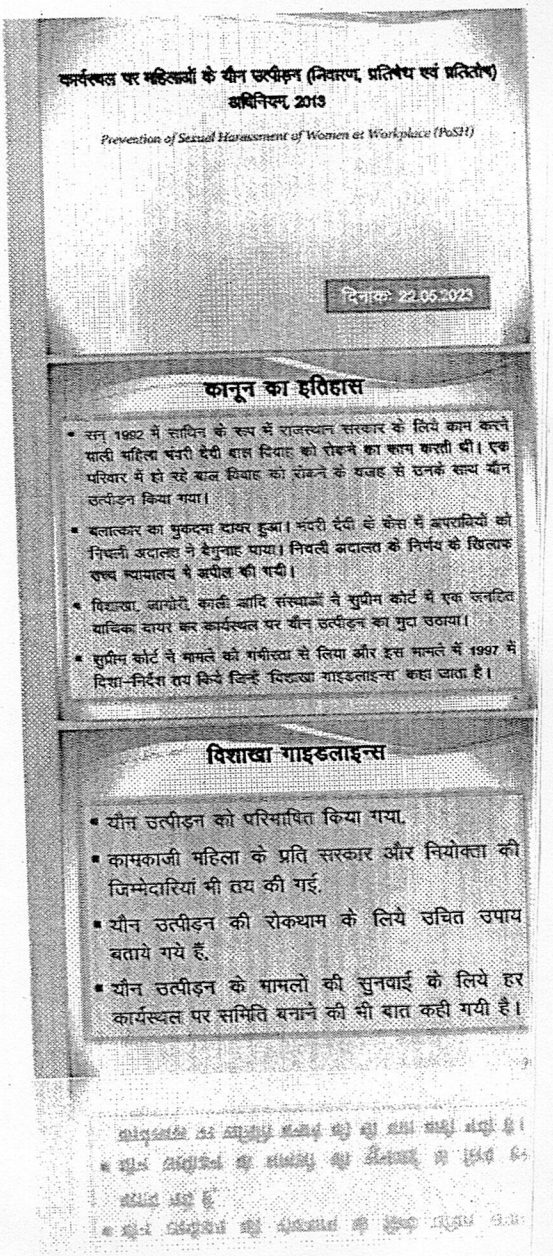

4. विभाग के अन्तर्गत प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं सभी वन प्रमंडल में आंतरिक समिति का गठन कर लिया गया है.

5. अधिनियम से सम्बंधित प्रचार प्रसार की सामग्री प्राप्त कर प्रदर्शित करने की कार्रवाई की जा रही है.